


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
आदेश

शासन उपसचिव, शिक्षा(गुप-2)विभाग जयपुर के पत्रांक पं.7(1)शिक्षा-2/संशोधन प्रस्ताव प्रधा/प्र.अ./व्या/2016 दिनांक 13.12.2016 द्वारा प्राप्त अनुमोदन के आधार पर राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित अधिकारियों प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका पदस्थापन/समायोजन इनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

क.सं.	नाम	कहाँ से (रामावि/ राबामावि)	Distt	कहाँ को(रामावि/ बामावि)	Distt
1	सुश्री निर्मला सोनी वअ	गणेश घाटी उदयपुर से पदोन्नति पर अमरपुरा गिर्वा उदयपुर (दोहरा पदस्थापन)	udaipur	श्यामपुरा- ऋषभदेव	udaipur
2	सुरेश चन्द शर्मा वअ	नाथद्वारा सराह राजसमन्द से पदोन्नति पर दादलिया जवाजा अजमेर के आदेश पर (दोहरा पदस्थापन)	ajmer	खेडला-आसीन्द	Bhilwara
3	सोबर्स विश्वास मैसी वअ	लूणियावास जयपुर से पदोन्नति पर दादिया-सांगानेर जयपुर के आदेश पर (दोहरा पदस्थापन)	Jaipur	नौरंगपुरा-सांभरलेक जयपुर	Jaipur

इन्हे अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांक 20.12.16 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करना है । कार्यग्रहण की सूचना शालादर्पण में दर्ज करना सुनिश्चित करें। राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम (RVRES) में नियुक्त अधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कर सकेंगे।


(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 21/12/16

कमोंक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-1/45001/स्था-समा/2016-17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर
4. संबधित उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक)
5. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक-I/II/विधि)
6. संबधित संस्था प्रधान को पाबंद किया जाता है कि कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की कार्यवाही शालादर्पण के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें ।
7. संबधित कार्मिक
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)